AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher,Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Dr.Ramphool Puniya
Officer Incharge

Mobile No.: 9419256071, 7006932187
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. /Estt./ARSS/K/2025/ 938-944 Dated: 16/09/2025

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के एक वर्ष के लिए श्रमिक आपूर्ति के लिए खुली निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। श्रमिक आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/सेवा प्रदाता संस्थाओं जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाइसेंस होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय समय में निविदा शुल्क रुपये 500/– प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, UPI अथवा बैंकर चेक द्वारा भुगतान कर दिनांक 26.09.2025 तक सुबह 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in व http// sppp.rajasthan .gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं तथा निविदा शुल्क व अमानत राशि का ड्राफ्ट द्वारा देना होगा तथा सीलबंद निविदाऐं दिनांक 26.09.2025 को सुबह 12:00 बजे तक जमा कराई जा सकती हैं। दिनांक 26.09.2025 को दोपहर 12:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू) लाख	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1	फार्म पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु	800000	16000

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर

No.F./OT/ARSS/KUMHER/2025/ 938-944
Date: 16/09/2025

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 26.09.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. श्रीमान क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां–अलवर
5. श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर–भरतपुर को भेजकर लेख है कि केन्द्र की समिति को दिनांक 26.09.2025 भेजकर निविदा सम्पन्न करावें।
6. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/...।
7. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइटwww.sknau.ac.in & http://sppp.rajasthan.gov.inपर अपलोड करना सुनिष्चित करे।
8. कृषि महाविद्यालय/कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9. पंचायत समिति कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
10. रक्षित फाइल

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर

AGRICULTURE RESEARCH SUB STATION
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)
Kumher,Distt. Deeg (Raj.) - 321201

Dr.Ramphool Puniya
Officer Incharge

Mobile No.: 9419256071, 7006932187
Email: incharge.arss.kumher@sknau.ac.in

No. F. /Estt./ARSS/K/2025/938-944

Dated: 16/09/2025

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति खुली निविदा

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के सम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु वार्षिक दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मो से खुली निविदाऐं निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:—

क. सं	विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	बोली प्रतिभूति (Bid Security)	निविदा शुल्क	निविदा प्राप्त करने की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा	800000	16000/—	500/—	26.09.2025 समय सुबह 10:30 बजे	26.09.2025 सुबह 12:00 बजे तक	26.09.2025 सुबह 12:30 बजे

निविदा प्रपत्र

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति निविदा

निविदा कमांक	**No. F. /OT/Store/ARSS/KUMHER/2025/** 938-944 **Dated:** 16/09/2025
बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एव समय	दिनांक 26.09.2025 सुबह 12:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के**D.D./B.C/UPI.:** के पक्ष में	ऑफीसर इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (Officer Incharge, ARSS Kumher)

निविदा प्रपत्र तथा शुल्क बोली प्रतिभूति (Bid Security) के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से ऑफीसर इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में दिनांक 26.09.2025 समय सुबह 12:00 बजे तक भौतिक रुप से प्रस्तुत करने होगें।

कार्य की अनुमानित लागत — 800000/— प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड

निविदा जमा कराने की
अन्तिम तिथि — 26.09.2025
समय सुबह— 12:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क —500 रुपये

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नामः..
2. डाक का पता...
   मोबाईल...
   ई–मेल...
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल..
   ....
   ....जिसको संबोधित किया गया – ऑफीसर इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) निविदा सूचना संदर्भ No. F. /OT/Store/ARSS/KUMHER/2025/938-944 Dated: 16/9/25 के तहत बोली प्रतिभूति राशि 16000/– रुपये एवं निविदा शुल्क राषि 500.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक ऑफीसर इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के पक्ष में देय संलग्न करना होगा। हम ऑफीसर इंचार्ज, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)जारी की गई निविदा सूचना संख्या No. F. /OT/Store/ARSS/KUMHER/2025/938-944 Dated: 16/9/25 में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिआवश्यक शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
4. सभी कार्यों के लिए केन्द्र की विभिन्न इकाईयों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में करनी होगी। केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्वि की जा सकती है।
5. केन्द्र के अंतर्गत कार्यरत इकाईयों हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति के कार्य हेतु वित्तीय प्रपत्र 'अ' में दी गई दरें व कृषि कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' एक वर्ष के लिए हैं जिसे RTTP एक्ट एवं नियम के अनुसार बढाया जा सकता है।
6. निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रुप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .... .दिनांक..............................राशि.................भौतिक रुप से प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए निविदा दिनांकः 26.09.2025 सुबह 12:00 बजे तक जमा करावें।
7. निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'स') संलग्न करें।
9. पूर्व में समान प्रवृति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नही होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'द') संलग्न है।
10. निविदा में संलग्न दस्तावेजात पर क्र.सं. अंकित करनी होगी ।
11. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।
12. निविदा प्रपत्र के साथ FORM NO. 1, Memorandum of Appeal संलग्न है। (प्रपत्र 'य')
13. निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।
14. बोलीदाता/संवेदक विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 (जो कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के नाम बना हो या आवश्यक शपथ पत्र)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं जीएसटी **(GST)**				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डिन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डिन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत				

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

<u>तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'</u>

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) पर कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिकों की आपूर्ति निविदा

परिचय :–कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर), श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय एवं राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी संस्था है जिसका उद्धेश्य कृषि अनुसंधान व बीजोत्पादन कार्य करना है। केन्द्र के फार्मों एवं केन्द्र परिसर पर प्रायोगिक एवं अन्य कार्य सम्पन्न करवाने हैं, केन्द्र की समस्त इकाईयों द्वारा वर्षभर में विभिन्न कार्यों को सम्पादन करवाने हेतु निम्नलिखित कार्यो की पूर्ति हेतु श्रमिकों की आवश्यकता पडेगी।

कार्य का नाम
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर), पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा

उपयुक्त कार्यों हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिन्हें निविदा में वर्णित श्रमिकों की आपूर्ति का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट sknau.ac.in व <u>http://sppp.rajasthan.gov.in</u> डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500.00/–व बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) 16000/–जमा करनी होगी। दिनांक 26.09.2025 समय 12:00 बजे तक प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रताः–

1. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
2. निविदादता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो (2021–22,2022–23,2023–24)का औसत वार्षिक टर्न ऑवर हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज आदि सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN के अनिवार्य रुप से संलग्न **प्रपत्र 'स'** करें।
3. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरुरी है (कम से कम50 श्रमिक प्रतिदिन ठेके पर उपलब्ध कराने का होना आवश्यक है)। यदि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत उक्त अधिनियम का पंजीकरण नही है तो इस आशय का शपथ पत्र कार्यादेश मिलने पर पंजीकरण कराना होगा, प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपकम में श्रमिक आपूर्ति का कार्यानुभव विगत 3 पूर्ण वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है। <u>संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संस्थान प्रमुख द्वारा जारी हुआ, संलग्न करना अनिवार्य है।</u>
5. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता व दूरभाष नम्बर देना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
7. सेवा प्रदाता को जीएसटी हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
9. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डिन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकृत संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरुरी है।

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

B.आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना।

बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) 16000/—जमा करनी होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 500.00/— का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के पक्ष में देय एवं भौतिक रुप से प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

श्रमिक आपूर्ति एवं अन्य कार्य के लिए शर्ते

1. अगर ठेकेदार अपना निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिकों को भुगतान नही करता है या कार्य संतोषजनक नही करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. ठेकेदार को प्रत्येक दिन कुल श्रमिकों की मांग के अनुसार कम से कम 90 प्रतिशत पुरुष श्रमिक उपलब्ध कराने होगें अन्यथा जितने कम पुरुष श्रमिक होगें उसके अनुसार रु. 40/— प्रति पुरुष श्रमिक के हिसाब से सस्ती (पैनेल्टी) का भुगतान देय होगा व उस दिन के कुल श्रमिक के देय भुगतान में से इस शास्ती (पैनेल्टी) की राशि को कम करके भुगतान देय होगा।
3. ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नही होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरें बढाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान करना होगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्येनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दें।
4. सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भगुतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों का भुगतान श्रमिकों के बैंक में ट्रांसफर करना होगा तथा ट्रांसफर लिस्ट कार्यालय में जमा करानी होगी। इस बिन्दु को विशेष रुप से ध्यान में रख कर निविदा भरें।
5. सभी विभागों में श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व विभाग में लगने वाले श्रमिकों के नाम की सूची संबंधित कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मौहर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 20 वर्ष से कम व 60 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जा सकता है। अगर किसी भी विभागीय स्टाफ को किसी भी कार्यरत श्रमिक की कार्यशैली एवं आचरण आदि पर संदेह होता है तो उस श्रमिक की पहचान ठेकेदार को हमें बतानी होगी।
6. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
7. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को ठेकेदार से होगा।
8. किसी भी प्राकृतिक कारणों से या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9 बजे तक ठेकेदार को इकाई प्रभारी या उनके प्रतिनिधि द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होगें।
9. ठेकेदार कार्यालय कार्य एवं अन्य कार्यो की महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो संस्थान अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नही करायेगा तो ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा अतिरिक्त अधिक राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station

10. श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यलय द्वारा अग्रिम राशि देय नही होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि **RTPPR 2012, RTPPR 2013 एवं GF&AR** में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेगी।
11. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरुप नही करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)को होगा।
12. ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा अनुमोदन के लिए बाध्य नही होगा।
13. न्यूनतम दर से साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
14. **दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो पिछले तीन वर्षों के औसत टर्नओवर के आधार पर प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) एवं माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।**
15. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में केन्द्र में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक केन्द्र के सम्बंधित व्यक्तियों द्वारा सम्बंधित विभाग पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगे।
16. यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नही कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दोगुना तक श्रमिक लगाकर पूर्ण करा लेगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि केन्द्र उसकी अमानत राशि में से पैनल्टी के रुप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
17. **निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरन्त श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नही किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि कार्य की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो केन्द्र उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राषि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।**
18. अलग–अलग कार्यों के लिए अलग–अलग फर्मों के न्यूनतम दर प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नही किया जायेगा।
19. कोरोना महामारी (कोविड–19) के समबन्ध में भारत/राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी होने वानी समस्त दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
20. केन्द्र द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फामों में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नही किया जावेगा।
21. राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.02(1)/वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के संख्या 01/2018 के अंतर्गत निम्न शर्ते भी जोडी जा रही है:–

i. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

ii. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक की उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

iii. संवेदक निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों में NEFT/RTGS/Online द्वारा ही किया जायेगा। सम्बंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक में जमा कराई गई राशि का विवरण समबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

iv. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

v. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।

vi. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को **नियमानुसार ई.पी. एफ व ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी. एफ व ई.एस.आई के अंषदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जायेगा।**

vii. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर Display Board लगाये जायेगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline Number एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जायेगा।

viii. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ व ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

ix. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं जीएसटी की राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं जीएसटी की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं जीएसटी का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं जीएसटी के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

x. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिषा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों,अधिसूचानाओं,दिषा–निर्देषों आदि का पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

xi. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपपान संस्था प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उचित प्राकर से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

xii. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन छंटनी,मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

xiii. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

xiv. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

xv. यदि संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मदेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रुप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है, तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित संवेदक का होगा।

xvi. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेष जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रुप से प्रेषित की जावेगी।

xvii. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने की पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को होगा।

xviii. उपरोक्त शर्तों का अध्ययन कर स्वीकार करने के रुप में निविदादाता के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर दी है।

दिनांक ....
स्थान ....

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय स्पष्ट नाम
मय फर्म की रबड मोहर

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

i. निविदा का खोला जाना–

दिनांक 26.09.2025 को सुबह 10:30 बजे तक प्राप्ति तथा निविदा प्रपत्रों को दिनांक 26.09.2025 सुबह 12:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

ii. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि –

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 3 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को **(Performance Security)**जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) के नाम जो भरतपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति के रुप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेंगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रुप से/ आंषिक जब्त की जा सकेगी।

iii. उत्तरदायित्व–

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रुप से हो सकें।

iv. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियां–

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रुप से या आंशिक/रुप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को होगें। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार कर या उनके पत्र व्यवहार का जबाब दिया जाए। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। पर्याप्त बिड सिक्यूरिटी, निविदा शुल्क के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

v. अनुमानित राशि का आंकलन :–

प्रपत्र 'अ' में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 800000/– है। केन्द्र द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

vi. दर संविदा अनुबंध की अवधि–

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार बढाई जा सकती है।

vii. अनुबन्ध पत्र–

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारुप से अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रु 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॅाम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा। जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरषः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तो का उल्लघंन करना है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा तथा उक्त कार्य अनुबंन्धकर्ता की ***Risk and Cost*** पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपॉवर में किसी प्रकार की बढोतरी/कमी है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएॅ बढाई/घटाई जा सकती हैं।

viii. भुगतान की शर्तें–

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को जिस कार्यालय को श्रमिक उपलब्ध करवाये गये उसी कार्यालय को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक बिल प्रस्तुत करना होगा और वही कार्यालय प्रस्तुत बिलों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा। उक्त सेवाओं के बदले फार्म प्रबंधक/प्रभारी द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रुप से निविदादाता सेवा प्रदाता को

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

RTGS/NEFT/चैक द्वारा किया जाएगा। बिलो का भुगतान कोष कार्यालय से पारित होने के उपरान्त किया जावेगा।

ix. भुगतान की जिम्मेदारी–

निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यों के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

x. मध्यस्थः–

निविदा की किसी भी शर्ते/ शर्तों के संबंध में ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

xi. कार्यादेशं का निरस्तीकरण–

ऑफीसर इंचार्ज कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर) को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रुप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

xii. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति–

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि यह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों पढ/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रुप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती केन्द्र द्वारा की जाएगी।

xiii. निविदा की अन्य शर्तें–

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–2 के नियम 68 निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार लागू होंगी।

xiv. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुए अपराधिक प्रकरण वर्ज करवाया जाएगा।

xv. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार–** बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रुप से प्रत्युत्तदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों को सुधार करेगी, अर्थात :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और मूल्य में सुधार किया जायेगा,में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी हे तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होंगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपयुक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

xvi. सत्यनिष्ठा संहिता– उपापन प्रकिया में भाग लेने वाला काई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नही करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नही करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्तकरने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता,निष्पक्षता और प्रगति को बांधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि बोली में कूट मूल्य वृद्धि का प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नही होगा।

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया मेंअनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय के दुरुपयोग नही करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष याअप्रत्यक्ष रुप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया को किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में वाधा नही डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्वनियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

xvii. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रुप से प्रभावित कर सकता हो,

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था के किसी कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे,निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उप तक सीमित नहीं है:–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे (किबाहय वृतिक) या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय अस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रुप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और अस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाहय किया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृति के पश्चात् नियोजन या उपाहर की प्राप्ति,जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हों, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों काउपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृतयों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपानप संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से, कुटुम्ब मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्है उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु दन तक सीमित नहीं हैं यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, काई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रुप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली केबारे में सूचना तक पहुंचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि,यहएक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नही करता है जोबोली के रुप में अन्यथा भाग नही लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देषों को तैयार करने में सलाहकार के रुप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररुपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देष और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में न तो संबद्ध हैऔर संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रुप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

xviii. उपापन प्रकिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय जोबनेर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विष्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगें।

1. अपील – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि काई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही से लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देषों या मार्गदर्षन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रुप से देते हुए, ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारुप में (प्रपत्र–'य') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेंगी, जिसकों तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पष्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नही, और तदनुसार आदेष पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेष के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसका समक्ष उप–धारा (1) के अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से 30 दिवस के अन्दर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष से व्यथित है तो बोल लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थित, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के अन्दर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पष्चात यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गय नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नही, और तदनुसार आदेष पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है यथा–सम्भव शीध्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपहील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तोवजों में उपदर्षित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारुप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाऐं।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाऍ।

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का द्वारा करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अडचन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. **अपील का प्रारुप –**

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4)के अधीन कोई अपील प्रारुप (प्रपत्र – य) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथिततथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिषः यारजिस्ट्रीकरणडाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. **अपील फाइल करने के लिए फीस –**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रुप में किया जावेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. **अपील के निपटारे की प्रकिया –**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति,द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथस्थिति,द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों को अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले ये संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेष जारी करेगाऔर अपील के पक्षकारों को उक्त आदेष की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेष राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

xix. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायलय क्षेत्र, भरतपुर (राजस्थान) होगा।

प्रभारी अधिकारी

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

मैंने / हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं / हम उपरोक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा / रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

BOQ Format प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत 13 प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति श्रमिक)	कुल राशि (5+6+7+8)
		कार्य हेतु आवष्यक मानक के साधन की अनुमानित व संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर पर विभिन्न कृषि क्रियाओं के संम्पादन, कृषि प्रायोजित एवं कृषि से संबंधित अन्य सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा	अकुशल श्रमिक	285					
2		अर्द्धकुशल श्रमिक	297					
3		कुशल श्रमिक	309					
4		उच्च कुशल	359					

अति आवश्यक शर्ते :–

निविदादाता के हस्ताक्षर

1. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा तथा वास्तविक भुगतान की पुष्टि श्रमिक के बैंक खाते के विवरण से भी किया जा सकेगी।
2. प्रतिमाह की गणना 26 दिन के आधार पर की जायेगी।
3. श्रमिकों को नियोजित करते समय उसके पी.एफ. खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
4. श्रमिक के ई.एस.आई में पंजीयन करवाकर प्रथम बिल के साथ संलग्न करना होगा।
5. पी.एफ. की जमा पुष्टि श्रमिक के पी.एफ विवरण से कभी भी की जा सकेगी, यदि पी.एफ. खाते में राशि कम जमा करवाना पाया गया तो कभी भी वसूली की जा सकेगी।
6. सफल निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ.और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति मूल

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कार्मिकों की सूची जिनके खातों के अन्य राशि जमा की गई है, प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/ बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा निविदाकर्ता को बिल/ बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसका निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. **सफल तकनीकी निविदादाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रुप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो गणना उपरान्त भुगतान योग्य राशि नही हो, प्रस्तावित करनें पर शून्य प्रतिफल मानते हुए RTPP Act की धारा 2 (xviii) के अंतर्गत अमान्य होगी।**

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)

iv. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

v. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1982 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था का प्रस्तुत की जायेगी।

vi. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

vii. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

viii. केन्द्र की मांग अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु संवेदक द्वारा अपने फर्म के लेटरहैड पर उपलब्ध कराये गये श्रमिकों की जानकारी मय आवश्यक श्रमिक पहचान पत्र–आधार कार्ड की फोटो प्रति केन्द्र पर प्रारमी में जमा करानी होगी।

नोटः– 1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव किया जायेगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वेजिज के उपर कुछ भी सर्विस चार्ज नही दर्शाते है, ऐसी फर्म को **Unresponsive** माना जायेगा।

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station,
Kumher (Bharatpur)

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता/करते हैं तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैंने/हमनें निविदा की सभी शर्तों/ नियमों को भलीभांति पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उनसे मैं/ हम पूर्णयता सहमत है।

हस्ताक्षर
पूर्ण पता फर्म की मोहर

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)

No.F./OT/ARSS/KUMHER/2025/ 938-944 Date:- 16/09/2025

खुली निविदा हेतु वांछित दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें

क्र.सं.	आवश्यक दस्तावेजात का विवरण	संलग्न सूची कमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 जो कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के नाम बना हो या आवश्यक शपथ पत्र	
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	
4.	वस्तु कर एवं जीएसटी **(GST)**	
5.	आयकर (पैन कार्ड)	
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डिन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डिन कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत	
7.	वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय यू.डी.आई.एन. द्वारा जारी (वित्तीय वर्ष – 2021–22, 2022–23 व 2023–24) प्रपत्र **स**	
8.	कार्य अनुभव / संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र	
9.	ब्लेक लिस्ट न होने का घोषणा प्रपत्र **द**	
10.	निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500/– का डी.डी.संलग्न	
11.	अमानत राशि रुपये 16000/– का डी.डी. संलग्न	
12.	शर्तो पर सहमति पत्र रुपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा	

नोटः– उपरोक्त वांछित दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नही किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नही खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रुप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर (भरतपुर)

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रपत्र 'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स...का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है।

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रु.लाखों में)
1	2021–22	
2	2022–23	
3	2023–24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

औसत टर्न ओवर प्रति वर्ष ....

सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय UDIN-

दिनांकः

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं सील

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

प्रपत्र –'द'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य सेवा/सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नही करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नही किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम किसी भी न्यायलय में सेवा प्रदायगी में **Defaulter/Blacklist** का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायलय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र "य"

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.................of......................

Before the................................... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official Address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

....

....

.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

Place .... Date

....

Appellant's Signature

Officer Incharge
Agril. Res. Sub. Station
Kumher (Bharatpur)